



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1760]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2013/श्रावण 7, 1935

No. 1760]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2013/SRAVANA 7, 1935

वित्त मंत्रालय

( राजस्व विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2013

**का.आ. 2309(अ).**—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशकों की पंक्ति से अन्तून के अधिकारियों की व्यक्तियों को तलाशी लेने की शक्ति का प्रयोग करने और ऐसे अभिलेख या संपत्ति जो इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, का अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है;

परन्तु अधिनियम की धारा 17 के अधीन केवल तलाशी और अभिग्रहण के दौरान ही और उक्त अधिनियम की धारा 18 के अधीन उपबन्धित परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन वैयक्तिक तलाशी ली जाएगी।

[अधिसूचना सं. 8/2013/फा. सं. 6/14/2008-ईएस]

बिप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2013

**S.O. 2309(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), the Central Government hereby authorizes Officers not below the rank of Assistant Directors in the Directorate of Enforcement to exercise the power to search persons and to seize such record or property which may be useful for or relevant to proceedings under the Act :

Provided that the personal search shall be exercised only during the course of search and seizure operations under Section 17 of the Act and subject to the limitations and safeguards provided under Section 18 of the said Act.

[Notification No. 8 of 2013/F. No. 6/14/2008-ES]

BIPLAB KUMAR NASKR, Under Secy.